राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/2013-14/603 दिनांक :- 8/11/13

विज्ञप्ति

सेवाकर अधिनियम में हुए व्यापक संशोधनो से दिनांक 01.07.2012 से मण्डल में आवेदक/आवंटियों द्वारा निम्न आवंटनों के क्रम में जमा कराई जा रही समस्त राशियाँ सेवाकर के दायरे में आ चुकी हैः-

क्र.सं	विवरण	सेवाकर की दर
1	स्ववित्त पोषित योजना के सफल आवेदकों से प्राप्त की जा रही समस्त राशिया।	3.09 प्रतिशत
2	**नीलामी एवं खुली बिक्री योजना में नकद भुगतान पद्धति (ORS) पर विक्रित आवास/भूखण्ड को छोड़कर** अन्य समस्त प्रकार के आवंटनों के क्रम में विभिन्न चरणों में प्राप्त राशियाँ जिसमें पंजीयन, आरक्षण राशि, आवंटन पत्र की राशि भी सम्मिलित है।	3.09 प्रतिशत
3	किराया क्रय पद्धति के आवेदकों द्वारा जमा कराई जा रही किश्तों की राशि।	3.09 प्रतिशत
4	वाणिज्य एवं संस्थानिक आवंटनों में जमा लीज राशियाँ (वार्षिक एवं एक मुश्त दोनों)	12.36 प्रतिशत

यदि आवास का कारपेट क्षेत्र 2000 वर्गफुट से अधिक है अथवा उसका विक्रय मूल्य 1.00 करोड़ से अधिक है तो सेवाकर की दर 3.708 प्रतिशत होगी।

अतः समस्त सफल आवेदक/आवंटी जिन्होंने मण्डल में आवंटन के क्रम में दिनांक 01 जुलाई 2012 एवं उसके पश्चात राशियाँ जमा करवाई हैं, वे उपरोक्त दर के अनुसार देय सेवाकर की राशि तत्काल मण्डल में जमा करावें।

ऐसे समस्त आवेदक/आवंटी जिन्हें कि आरक्षण/आवंटन पत्र जारी है एवं देय राशियाँ जमा करवानी शेष है, उन्हें भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार देय समस्त राशियों पर सेवाकर की राशि भी जमा करानी अनिवार्य होगी।

सेवाकर जमा न कराने की स्थिति में जमा कराई गई राशि में से देय सेवाकर की राशि की कटौती कर शेष राशि ही सम्बन्धित के खाते में जमा की जायेगी, तथा कम जमा हुई राशि पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक से ब्याज वसूलनीय होगा।

आवासन आयुक्त

D:\RHB\RHB COMP CELL ALL FILE\R.N. Sharma Ji/Hindi A4